न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 31/2016

बउनवान

1. तीजू बाई पुत्री श्री कालू पत्नि श्री नाथूलाल, जाति माली, निवासी बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0) **(मृतक)**

1/1 धन्नालाल पुत्र नाथूलाल सुमन, जाति माली, आयु 65 वर्ष निवासी डाबरी काकाजी, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

2. श्रीलाल उम्र 61 वर्ष पुत्र श्री गोपाल
3. सत्यनारायण उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री गोपाल
4. फूला बाई उम्र 63 वर्ष पुत्री श्री गोपाल
5. जानकी बाई उम्र 58 वर्ष पुत्री श्री गोपाल

अकवाम माली सकनाय बड़वा, तहसील अन्ता जिला बारां (राज0) **(अपीलांटगण)**

बनाम

1. रामकिशन उम्र 61 वर्ष पुत्र श्री बिशनलाल
2. बृजमोहन उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री बिशनलाल

   अकवाम माली सकनाय डाबरी काकाजी, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)
3. बाबूलाल उम्र 51 वर्ष पुत्र श्री बिशनलाल
4. रामस्वरूप उम्र 41 वर्ष पुत्र श्री बिशनलाल

   अकवाम माली सकनाय हनुमान जी की बगीची के पास अन्ता जिला बारां
5. बन्टी उम्र 21 वर्ष पुत्र श्री रामचन्द्र
6. भैरूलाल उम्र 51 वर्ष पुत्र श्री भंवरया
7. रामचरण पुत्र श्री श्योपाल
8. बद्रीलाल पुत्र श्री श्योपाल
9. धन्ना उम्र 76 वर्ष पुत्र श्री नाथू
10. महावीर पुत्र श्री पन्ना

    अकवाम माली सकनाय डाबरी काकजी तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
11. लटूरी पत्नि महावीर, जाति मीना, निवासी डाबरी काकाजी, तहसील अन्ता जिला बारां
12. चाहन्या बाई पत्नि श्री जगदीश
13. गोपाली पुत्री श्री नाथू
14. ग्यारसी बेवा श्री नाथू

    अकवाम माली सकनाय डाबरी काकाजी तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार [illegible] जिला बारां (राज0) **(रेंस्पोडेंट्स)**

<u>अपील विरूद्ध इंतकाल [illegible] ग्राम पलसावा तहसील अन्ता, अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :– 1. श्री बाबूलाल [illegible] एडवोकेट (अपीलांटगण)

2. श्री दुल्हे सिंह एडवोकेट (रेस्पो. क्रम 3, 4, 8 व 10)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.13 11:00:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 31.03.2023

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पलसावा तहसील अन्ता में सम्वत् 2049 से 2052 की जमाबन्दी में खेवट खतौनी संख्या नई 30 व पूरानी 48 में 8 किता रकबा 4.44 है. भूमि गोपाल पुत्र भंवरया, श्योपाल, धन्ना पुत्र नाथू, गोपाली, नूरका पुत्रियां नाथू, ग्यारसी बेवा नाथू, पन्ना पुत्र मथुरा के 1/2 तथा कालू पुत्र कंवरलाल के 1/2 जाति माली निवासी डाबरी काकाजी दर्ज थी। जो कालू पुत्र कंवरलाल के फौत होने के कारण इंतकाल नंबर 71 दिनांक 03.06.1993 से मृतक कालू के स्थान पर रामचन्द्र, रामकिशन, बृजमोहन, बाबूलाल, रामस्वरूप पिसरान कालू व कमला बेवा कालू एवं मांगी बाई, तीजू बाई पुत्रियां कालू हिस्सा बराबर के नाम दर्ज किया गया एवं नूरका का नाम खारिज किया गया। उपरोक्त प्रकरण में कालू पुत्र कंवरलाल एवं कालू पुत्र बिशनलाल नाम के दो व्यक्ति डाबरी काकाजी में थे। दोनो के बाप का नाम अलग–अलग है, कालूलाल के मात्र दो लडकिया मांगीबाई व तीजू बाई है। नामान्तकरण के सजरे में जो कालू के रामचन्द्र, रामकिशन, बृजमोहन, बाबूलाल व रामस्वरूप तथा बेवा कमला का नाम जो दिखाया गया है, वह गलत है यह 6 व्यक्ति कालू पुत्र बिशनलाल के वारिस है। जो इस सजरे में गलत दर्ज कर दिये। कालू पुत्र कंवरलाल के मात्र दो लडकियां हुई है, जिनमें बडी तीजू बाई है, जिसकी उम्र 102 वर्ष है एवं छोटी मांगीबाई थी जो फौत हो गई है, उसके दो पुत्र व दो पुत्रियां है जो इस प्रकरण में अपीलान्ट क्रम 2 ता 5 है। मांगीबाई के पति का नाम गोपाल है जो बडवा रहते है, इस कारण यह अपील कालू पुत्र कंवरलाल के वारिसान की ओर से पेश की जा रही है। इंतकाल नंबर 71 ग्राम पलवासा तहसील अन्ता दिनांक 03.06.1993 में जो 1/2 हिस्सा कालू पुत्र कंवरलाल का है, उसके फौत होने पर यह 1/2 हिस्सा अपीलान्ट क्रम 1 के 1/4 क्रम 02 ता 04 के 1/4 के रूप में दर्ज होना चाहिए था, किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 5 का नाम दर्ज कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर 71 दिनांक 03.06.1993 ग्राम पलसावा में कालू पुत्र कंवरलाल माली के वारिसों के रूप में जो रामचन्द्र, रामकिशन, बृजमोहन, बाबूलाल, रामस्वरूप, बेवा कमला को कालू के वारिस बता रखे हैं को निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार अन्ता को जांच हेतु रिमाण्ड किया जाकर वास्तविक पक्षकारों को ही इसमें रखा जावे शेष पक्षकारों के नाम हटाये जाने के निर्देश तहसीलदार अन्ता को दिये जावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स क्रम 3, 4, 8 व 10 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए तथा शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 3, 4, 8 व 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर हमने [illegible] समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनि[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.13 11:00:32 IST
Reason: SelfAttested

दौराने एक [illegible] ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया [illegible] मृतक खातेदार कालू पुत्र कंवरलाल के वारिसान के स्थान पर कालू पुत्र बिशनला[illegible] के वारिसान के नाम खोला जाकर तस्दीक किया गया है। जिसकी पुष्टि संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2022 से होती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर 71 दिनांक 03.06.1993 ग्राम पलसावा में कालू पुत्र कंवरलाल माली के वारिसों के रूप में जो रामचन्द्र, रामकिशन,

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर बारां (राज०)

बृजमोहन, बाबूलाल, रामस्वरूप, बेवा कमला को कालू के वारिस बता रखे हैं को निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार अन्ता को जांच हेतु रिमाण्ड किया जाकर वास्तविक पक्षकारों को ही इसमें रखा जावे शेष पक्षकारों के नाम हटाये जाने के निर्देश तहसीलदार अन्ता को दिये जावें।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

कालू पुत्र कंवरलाल के फौत होने पर इंतकाल नंबर 71 दिनांक 03.06.1993 से मृतक कालू के स्थान पर रामचन्द्र, रामकिशन, बृजमोहन, बाबूलाल, रामस्वरूप पिसरान कालू व कमला बेवा कालू एवं मांगी बाई, तीजू बाई पुत्रियां कालू हिस्सा बराबर के नाम दर्ज किया गया। मुताबिक प्रमाण पत्र सरपंच, ग्राम पंचायत पलसावा दिनांक 16.07.2015 कालू पुत्र कंवरलाल के वारिसान तीजू बाई व मांगी बाई हैं। मुताबिक जमांबदी सम्वत 2049–52 विवादित आराजीयात कुल किता 8 रकबा 4.44 है. के 1/2 हिस्से का खातेदार मृतक कालू पुत्र कंवरलाल था। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.02.2022 के अनुसार भी कालू पुत्र कंवरलाल के वारिस के रूप में दो पुत्रियां तीजूबाई व मांगीबाई है। रामचन्द्र, रामस्वरूप, बाबूलाल, रामकिशन, बृजमोहन, कमलाबाई, कालूलाल पुत्र बिशनलाल के वारिसान हैं।

अतः उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि कालू पुत्र कंवरलाल के फोत होने पर उसके वारिसान के हक में नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जाकर कालू पुत्र बिशनलाल के वारिसान के हक में नामान्तरकरण गलत रूप से दर्ज कर दिया गया।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पलसावा तहसील अन्ता का नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 03.06.1993 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार अन्ता को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक कालू पुत्र कंवरलाल के वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.13 11:00:32 IST
Reason: SelfAttested